



287/1

दूरगाम 22967/04
2296710

नव भैतना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ-220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : 2127/36/76/एक/2015-16
रोवा में,

दिनांक : 26 अगस्त 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद कासगंज।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूडा) को आसा योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को आसा योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु 0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
सोन्हरा बैंक इंडिया	3098425598	IFSC Code CMBN0280250	663.405

(धनराशि लाख रु 0 में)

क्र0सं0	जनपद/ निकाय का नाम	अनुदान रांख्या	आवासों की संख्या	किश्त रांख्या	अवमुक्त धनराशि
1	कासगंज/भरगैन	37	240	1	297.095
2	कासगंज/सोरो पहाड़पुर कटरा	83	252	1	366.310
	योग				663.405

उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों में विनिहित आसा योजना में प्रतापित उपरोक्त आवासों की परियोजनाओं में योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जाये:-

- 1- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शारानादेशों के अनुरूप आसा योजनान्तर्गत स्वीकृत ढी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- योजनान्तर्गत जो भी कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 3- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रगाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रगाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो उ0प्र0 शारान द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 4- सक्त धनराशि झूडा/कार्यदायी संस्था द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्त्यों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो जायें, क्योंकि स्वीकृत परियोजना/निर्धारित समय सीमा में कार्यपूर्ण न कराये जाने की दशा में कोई भी मूल्य वृद्धि मात्र नहीं होगी।



२८१२

दृष्टि

२२६

नव घोड़ा कोटा, १० बस्ती पार्क, लखनऊ २२०

राज्य नगरीय विकास अधिकरण, उ.प्र.

- ५— प्रस्तुत परियोजना में भुगतान के पूर्ण व्यापारिगम के द्वारा, राज्य व स्थानीय कर्त्ता की रुप्रोत पर कठौती रामबन्धी अधिकारी निषिक प्रधिवन्यों के अनुमालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निम्नांग में गुणवत्ता के नियारित मानकों का अनुमालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- ६— सूडा द्वारा योजनान्तर्मत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्थीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययकरण अनुमत्य न होगा, अन्यथा की रिक्ति में जनपद के रामबन्धी अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- ७— सूडा द्वारा योजनान्तर्मत अवमुक्त की जा रही धनराशि सम्बन्धित कार्यदारी संस्था से दूडा द्वारा एम०ए०य० (अनुबन्ध) निष्पादित करने के द्वारा त धनराशि कार्यदारी संस्था को अवमुक्त की जाये।
- ८— दूडा द्वारा कार्यदारी संस्था को अवमुक्त की गयी धनराशि के सारेक्ष व्यय की गयी धनराशि के अनुरूप रथल पर सम्पादित किये गये कारी नियारित मानक के अनुसार गुणवत्तापरक हैं, आदि का अनुश्रवण रथानीय स्तर पर दूडा के रामबन्धी परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भावद्वय,

(लाल प्रताप सिंह)

वित्त मियन्चक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अधिकरण, रामबन्धी जनपद।
2. निदेशक, री० ए० ए० ली०ए०, ज०प० जल नियम, लखनऊ।
3. श्री संजीत अग्रवाल, रामबन्धी पी० आवेदनरी, काशीकग अनुगाम, सूडा।
4. कार्यालय सेल—सूडा।
5. लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)

वित्त मियन्चक